सूडान का संविधान : अनुच्छेद-वार एवं संशोधन-वार संकलन

— केवल हिंदी भाषा में

ISBN NO: - 978-81-997724-2-7

AUTHOR NAME: -

MR.GANESH SHRIRANG SATARKAR

Advocate, Bombay High Court

1. **BOOK TITLE : सूडान का संविधान : अनुच्छेद-वार एवं संशोधन-वार संकलन — केवल हिंदी भाषा में**
2. **LANGUAGE:** HINDHI
3. **ISBN: 978-81-997724-2-7**
4. **EDITION:** FIRST EDITION
5. **AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR**
6. **PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY** :-
7. **M/s. SHRIRANG SAVALA NALE HUF** – SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. **CONTACT DETAILS:**
   MOBILE: +91 7066766607 **EMAIL:** GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. **YEAR OF PUBLICATION:** 2026
10. **FORMAT:** SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. **PRICE (IN INDIA):** ₹ 10 /- (**Printed and Published in India)**

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
Disclaimer:
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

सूडान का संविधान

प्रस्तावना – सूडानी जनता के संघर्ष, 2018 की क्रांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार, न्याय, समानता और कानून के शासन पर आधारित संविधानिक चार्टर।

अध्याय 1 : सामान्य उपबंध

अनुच्छेद 1 – संविधान का नाम और प्रवर्तन

अनुच्छेद 2 – पूर्व संविधान का निरसन और अपवाद

अनुच्छेद 3 – संविधान की सर्वोच्चता

अनुच्छेद 4 – राज्य का स्वरूप

अनुच्छेद 5 – संप्रभुता

अनुच्छेद 6 – कानून का शासन

अध्याय 2 : संक्रमणकाल

अनुच्छेद 7 – संक्रमणकाल की अवधि

अनुच्छेद 8 – संक्रमणकाल का दायित्व

अध्याय 3 : संक्रमणकालीन निकाय

अनुच्छेद 9 – शासन के स्तर

अनुच्छेद 10 – संक्रमणकालीन सरकार के निकाय

अध्याय 4 : संप्रभुता परिषद

अनुच्छेद 11 – संप्रभुता परिषद की संरचना

अनुच्छेद 12 – संप्रभुता परिषद की शक्तियाँ

अनुच्छेद 13 – सदस्यता की शर्तें

अनुच्छेद 14 – सदस्यता की समाप्ति

Transitional Military Council & Forces of Freedom and Change. (2019). ***Constitutional Charter for the Transitional Period of 2019 (Sudan)*****. Constitute Project.**
https://constituteproject.org/constitution/Sudan_2019

अध्याय 5 : संक्रमणकालीन मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 15 – मंत्रिपरिषद की संरचना

अनुच्छेद 16 – मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ

अनुच्छेद 17 – मंत्रिपरिषद की सदस्यता की शर्तें

अनुच्छेद 18 – सदस्यता की समाप्ति

अध्याय 6 : संवैधानिक पदों के लिए सामान्य उपबंध

अनुच्छेद 19 – संपत्ति की घोषणा एवं व्यापार निषेध

अनुच्छेद 20 – चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध

अनुच्छेद 21 – परिषद एवं मंत्रिपरिषद के कार्यों को चुनौती

अनुच्छेद 22 – प्रक्रिया संबंधी प्रतिरक्षा

अनुच्छेद 23 – शपथ

अध्याय 7 : संक्रमणकालीन विधान परिषद

अनुच्छेद 24 – विधान परिषद की संरचना

अनुच्छेद 25 – शक्तियाँ एवं कार्यकाल

अनुच्छेद 26 – सदस्यता की शर्तें

अनुच्छेद 27 – सदस्यता की समाप्ति

अनुच्छेद 28 – शपथ

अध्याय 8 : राष्ट्रीय न्यायिक निकाय

अनुच्छेद 29 – सर्वोच्च न्यायिक परिषद

अनुच्छेद 30 – न्यायिक प्राधिकरण

अनुच्छेद 31 – संवैधानिक न्यायालय

अध्याय 9 : लोक अभियोजन

अनुच्छेद 32 – लोक अभियोजन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 33 – महान्यायवादी की नियुक्ति

अध्याय 10 : महालेखा परीक्षक

अनुच्छेद 34 – सार्वजनिक लेखा एजेंसी

अध्याय 11 : वर्दीधारी सेवाएँ

अनुच्छेद 35 – सशस्त्र बल

अनुच्छेद 36 – पुलिस बल

अनुच्छेद 37 – सामान्य खुफिया सेवा

अनुच्छेद 38 – सैन्य न्यायालय

अध्याय 12 : स्वतंत्र आयोग

अनुच्छेद 39 – स्वतंत्र आयोगों की स्थापना

अध्याय 13 : आपातकाल

अनुच्छेद 40 – आपातकाल की घोषणा

अनुच्छेद 41 – आपातकाल में मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ

अध्याय 14 : अधिकार एवं स्वतंत्रताएँ

अनुच्छेद 42 – अधिकारों का स्वरूप

अनुच्छेद 43 – राज्य के दायित्व

अनुच्छेद 44 – जीवन और मानवीय गरिमा

अनुच्छेद 45 – नागरिकता

अनुच्छेद 46 – व्यक्तिगत स्वतंत्रता

अनुच्छेद 47 – दासता का निषेध

अनुच्छेद **48** – विधि के समक्ष समानता

अनुच्छेद **49** – महिलाओं के अधिकार

अनुच्छेद **50** – बाल अधिकार

अनुच्छेद **51** – यातना से संरक्षण

अनुच्छेद **52** – निष्पक्ष सुनवाई

अनुच्छेद **53** – न्याय प्राप्ति का अधिकार

अनुच्छेद **54** – मृत्युदंड पर प्रतिबंध

अनुच्छेद **55** – निजता का अधिकार

अनुच्छेद **56** – धर्म एवं पूजा की स्वतंत्रता

अनुच्छेद **57** – अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता

अनुच्छेद **58** – सभा और संगठन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद **59** – राजनीतिक सहभागिता

अनुच्छेद **60** – आवागमन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद **61** – संपत्ति का अधिकार

अनुच्छेद **62** – शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद **63** – विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता

अनुच्छेद **64** – दिव्यांग एवं वृद्धों के अधिकार

अनुच्छेद **65** – स्वास्थ्य का अधिकार

अनुच्छेद **66–67** – सांस्कृतिक समूह एवं अधिकारों की सुरक्षा

अध्याय 15 : व्यापक शांति से संबंधित विषय

संक्रमणकाल के दौरान, राज्य की संस्थाएँ निम्नलिखित दायित्वों के क्रियान्वयन हेतु कार्य करेंगी—

1. सूडान की समस्या की जड़ों को संबोधित करते हुए और उसके प्रभावों का समाधान करते हुए **न्यायसंगत एवं व्यापक शांति** स्थापित करना; युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों तथा अविकसित क्षेत्रों के लिए **अस्थायी प्राथमिक उपायों** को ध्यान में रखना; साथ ही **हाशिये पर पड़े समुदायों**, **कमजोर वर्गों** एवं **सबसे अधिक प्रभावित समूहों** की समस्याओं का निवारण करना।
2. उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित **व्यापक शांति समझौते** को, **शांति आयोग के गठन की तिथि से एक माह के भीतर प्रारंभ करते हुए**, **अधिकतम छह माह** की अवधि में पूर्ण करने को प्राथमिकता देना।

Transitional Military Council & Forces of Freedom and Change. (2019). ***Constitutional Charter for the Transitional Period of 2019 (Sudan)*****. Constitute Project.**
https://constituteproject.org/constitution/Sudan_2019

3. शांति प्रक्रिया के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी के संबंध में **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव** 1325 तथा **अफ्रीकी संघ के संबंधित प्रस्तावों** का अनुप्रयोग करना; तथा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित **क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय चार्टरों** को लागू करना।
4. महिलाओं के अधिकारों की गारंटी हेतु **कानूनी सुधार** करना; महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करने वाले सभी कानूनों को निरस्त करना; और इस संवैधानिक चार्टर द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करना।
5. संघर्ष क्षेत्रों में **शत्रुताएँ समाप्त** करने हेतु कार्य करना; **मानवीय सहायता** की आपूर्ति के लिए गलियारों को खोलते हुए एक **समावेशी और न्यायपूर्ण शांति प्रक्रिया** का निर्माण करना; युद्ध के कारण बंदी बनाए गए कैदियों एवं दोषसिद्ध व्यक्तियों को रिहा करना; तथा **कैदियों की अदला-बदली** करना।
6. राजनीतिक नेताओं तथा सशस्त्र आंदोलनों के सदस्यों के विरुद्ध, उनकी सदस्यता के कारण पारित निर्णयों के लिए **सामान्य माफी** जारी करना।
7. **संक्रमणकालीन न्याय** और **जवाबदेही** के उपायों का कार्यान्वयन प्रारंभ करना; **मानवता के विरुद्ध अपराधों** एवं **युद्ध अपराधों** के लिए अभियुक्तों को **राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों** के समक्ष प्रस्तुत करना; और **दंडहीनता न होने के सिद्धांत** को लागू करना।
8. **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त** के प्रतिनिधिमंडल के सूडान में कार्य करने के मिशन को सुगम बनाना।
9. युद्ध के कारण संगठनों और व्यक्तियों से जब्त की गई संपत्तियों को **कानून के अनुसार वापस** करना।
10. विस्थापित व्यक्तियों एवं शरणार्थियों को **मुआवज़ा** देने तथा **संपत्ति की वापसी** के लिए प्रासंगिक **अंतरराष्ट्रीय मानकों** का पालन करना; स्वैच्छिक वापसी की प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद, **अंतरराष्ट्रीय समझौतों** एवं **राष्ट्रीय कानूनों** में निहित उनके **मानवाधिकारों** को सुनिश्चित एवं संरक्षित करना।
11. विस्थापित व्यक्तियों एवं शरणार्थियों के **सामान्य चुनावों** तथा **संवैधानिक सम्मेलन** में भाग लेने के अधिकार की गारंटी देना।

शांति वार्ताओं के लिए आवश्यक प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं—

- युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों की विशिष्टताएँ;
- सुरक्षा व्यवस्थाएँ;
- विस्थापित व्यक्तियों एवं शरणार्थियों की **स्वैच्छिक वापसी** और **स्थायी समाधान**;
- हाशिये पर पड़े समुदायों एवं कमजोर समूहों से संबंधित मुद्दे;
- **समान नागरिकता**;
- शासन प्रणाली तथा **केंद्र और प्रांत/क्षेत्रों** के बीच संबंध;
- भूमि और **जनजातीय भूमि (हवाकिर)** से संबंधित मुद्दे;
- **सत्ता और संपदा का न्यायसंगत वितरण**;
- **न्यायसंगत और सतत विकास**;
- युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों का **पुनर्निर्माण**;
- **मुआवज़ा** और **संपत्ति की पुनर्स्थापना**;
- **संक्रमणकालीन न्याय**, सुलह और पीड़ितों का प्रतिकार;
- युद्ध से प्रभावित प्रांतों/राज्यों की **प्रशासनिक स्थिति**;
- व्यापक और न्यायपूर्ण शांति प्रक्रिया प्राप्त करने हेतु कोई अन्य आवश्यक विषय।

Transitional Military Council & Forces of Freedom and Change. (2019). ***Constitutional Charter for the Transitional Period of 2019 (Sudan)*****. Constitute Project. https://constituteproject.org/constitution/Sudan_2019**

संक्रमणकालीन प्राधिकरण और सशस्त्र आंदोलनों के बीच हस्ताक्षरित **व्यापक शांति समझौतों** को इस संवैधानिक चार्टर के प्रावधानों के अनुरूप **इसमें सम्मिलित** किया जाएगा।

अध्याय 16 : विविध उपबंध

1. इस संवैधानिक चार्टर के प्रावधान संक्रमणकाल के दौरान शासन संरचनाओं से संबंधित **राजनीतिक समझौते** से व्युत्पन्न हैं, जो **संक्रमणकालीन सैन्य परिषद** और **स्वतंत्रता एवं परिवर्तन की शक्तियों** के बीच हस्ताक्षरित हुआ। यदि इन दोनों दस्तावेज़ों के प्रावधानों में कोई संघर्ष हो, तो **इस चार्टर के प्रावधान प्रभावी होंगे**।
2. **संप्रभुता परिषद** के सदस्यों द्वारा संवैधानिक शपथ लेने के पश्चात **संक्रमणकालीन सैन्य परिषद भंग** मानी जाएगी।
3. जब तक इस चार्टर में कोई प्रासंगिक प्रावधान न हो, तब तक **मौजूदा राज्य एजेंसियों और संस्थानों** का कार्य जारी रहेगा, जब तक कि उन्हें किसी बाद के उपाय द्वारा भंग, समाप्त या पुनर्गठित न किया जाए।
4. इस संवैधानिक चार्टर द्वारा संप्रभुता परिषद को प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर, किसी भी वैध कानून में निहित **राष्ट्रपति के सभी कार्यकारी अधिकार और शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होंगी**।
5. यदि किसी **संप्रभु प्रकृति** के प्राधिकरण और किसी **कार्यकारी प्रकृति** के प्राधिकरण के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का निर्णय करने का अधिकार **संवैधानिक न्यायालय** को होगा।
6. **संप्रभुता परिषद** और **मंत्रिपरिषद** अपने-अपने अधिकारों के अनुसार **विदेशों में राज्य का प्रतिनिधित्व** करेंगी।
7. सूडान सरकार और सशस्त्र आंदोलनों के बीच संपन्न **शांति समझौतों की समीक्षा** की जाएगी, ताकि असंतुलनों को दूर कर **व्यापक और न्यायपूर्ण शांति** सुनिश्चित की जा सके।
8. इस चार्टर में **संशोधन या निरसन** केवल **संक्रमणकालीन विधान परिषद के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत** से ही किया जा सकेगा।

Transitional Military Council & Forces of Freedom and Change. (2019). ***Constitutional Charter for the Transitional Period of 2019 (Sudan)*****. Constitute Project.**
https://constituteproject.org/constitution/Sudan_2019